न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
जुगल किशोर बनाम राज.सरकार
GCMS No- 2024/336
प्रकरण संख्या 91/2024

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 91/2024
जीसीएमएस न0 2024/336

1. जुगल किशोर पुत्र शम्भूलाल धाकड़ निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा।
2. सीमा कुमारी पत्नी जुगल किशोर धाकड़ निवासी उंखलिया तहसील निम्बाहेड़ा।

––– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

––– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री एस.एन साल्वी – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक:–07.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त नाम से मोजा भुजियाखेडी पटवार हल्का अरनियाजोशीं तह० निम्बाहेडा में खाता सं0 201 की आराजी नं० 690/689 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई।

2. उक्त आराजीयात का मूल साबिक आराजी नं0 74 था जो कि बडा नम्बर था तथा उक्त साबिक आराजीयात में से ही जमीने विधिवत आवंटित हुई तथा प्रार्थीगण को आ०नं० 690/689 रकबा 0.2500 हेक्टेयर आवंटित हुई परन्तु मौके पर प्रार्थीगण आ०नं० 695/693 में से रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि पर काबिज थे, जो कि आ०नं0 631/74 के पश्चिम में तथा आ०नं0 75 के पूर्व दिशा में स्थित है तथा वही पर ही प्रार्थीगण शुरू से काबिज चले आ रहे है, परन्तु शुगर्बया साम. राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय प्रार्थीगण को आवंटित आराजी नं0 690/689 को पश्चिम दिशा में तरमीम करनी थी लेकिन नक्शे में पूर्व दिशा की तरफ तरमीम कर दी, इस त्रुटी के बारे में प्रार्थीगण को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हाल ही में राजस्व नक्शा ट्रेस की नकल ली तो प्रार्थीगण को पता चला कि उनको आवंटित आ०नं० 690/689 की तरमीम पश्चिम दिशा के स्थान पर पूर्व दिशा में हो गई है जबकि प्रार्थीगण जहाँ पर काबिज है, उसके आ०नं० 695/693 जिसका कुल रकबा 0.9500 हेक्टेयर किस्म भटवेड है, उसमें से 0.2500 हेक्टेयर दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा शेष रकबा यथावत रखाया जाना आवश्यक है, इसलिये इस त्रुटी को सही कराने के लिये जहाँ आ०नं० 695/693 दर्ज है, उसके स्थान पर प्रार्थीगण को आवंटित आ०नं० 690/689 रकबा 0.2500 हेक्टेयर दर्ज होनी चाहिये और आ०नं0 690/689 जहाँ पर [illegible] दर्ज है, उसके स्थान पर आ०नं० 695/693 दर्ज होना चाहिए। उक्त त्रुटी [illegible]वश [illegible] हैं। इसलिये उक्त त्रुटी को सुधारा जाना आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:37:57 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने [illegible] मय जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवदन किया कि प्रार्थी श्री जुगलकिशोर व इनकी पत्नी सीमा कुमार के नाम ग्राम भुज्याखेड़ी की आराजी में से 0.25 हैक्टेयर भूमि आंवटित हुई जिसके नवीन नंबर 690/689 रकबा 0.25 दर्ज हुए। आवंटित भूमि का

नक्शा जो आवंटन नामांतरण संख्या 235 पर चस्पा है व ग्राम भुज्याखेड़ी के ऑनलाईन नक्शे में कोई भिन्नता नहीं पायी गयी जिससे कोई शुद्धि किया जाना अपेक्षित नहीं है। आवंटित भूमि का नक्शा नामांतरणकरण पर चस्पा नक्शे अनुसार ही है। अतः प्रकरण निरस्त योग्य है।

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम भुज्याखेड़ी में प्रार्थी को आवंटित आराजी नम्बर 690/689 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि में मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में पूराने नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धि चाही गई। परंतु आंवटित भूमि के नक्शे व ग्राम भुज्याखेड़ी के ऑनलाईन नक्शे में कोई भिन्नता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:37:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे द्वारा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा